राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

पत्रांक–एफ 27(1)(35)(II)/ निमअ/SRCW/MRY/2015–16/16004 जयपुर, दिनांकः– 2.06.2021

संशोधित दिशा–निर्देश

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 31.05.2016 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :–

5. **"प्रक्रिया "** :–

(iv) तीसरी किश्त अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो सन्तान सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।

(v) अ. योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी व छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वाराबालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन राशि का हस्तांतरण किया जावेगा।

ब. आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(18)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 27(1)(35)(II)/निमअ/SRCW/MRY/2015–16/6069 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनाधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण किये जावेंगे।

योजना के दिशा–निर्देशों के शेष प्रावधान पूर्वानूसार यथावत रहेंगे।

1/6/21
(श्रेया गुहा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

पता : जे–7, झालानासंस्थानिक क्षेत्र, जयपुरदूरभाष– 01412716418
वेबसाईट :www.wcd.rajasthan.gov.inईमेल :gendercell.we@rajasthan.gov.in